पटना विश्वविद्यालय
PATNA UNIVERSITY
Estd. 1917

SEMESTER – II

CC – 7

Unit – IV

CREATION OF MODERN BIHAR(1912)

Dr Sachchidananda sinha **(1871-1950)**

Syed Ali Imam **(1871-1933)**

Vetted By:

प्रो. (डॉ) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

सम्पर्क : 9835463960

डॉ राजेश कुमार

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

सम्पर्क 9430934482

माता सीता, महावीर, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट, सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जैसे महान लोगों की जन्मस्थली क्षेत्र बिहार प्राचीन काल से ही प्रबुद्ध क्षेत्र रहा है। बिहार ही है जहां सर्वप्रथम वैशाली में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, ओदंतपरी महाविहार जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई थी, लेकिन औपनिवेशिक काल में बिहार बंगाल राज्य का एक उपांग बनकर ही रह गया था, लेकिन जब औपनिवेशिक काल में बिहारवासियों में भी अंग्रेजी शिक्षा के विकास के कारण एवं अन्य कारणों से यहां नई जागृति उत्पन्न हुई तब उसने बिहार-बंगाल पार्थक्य आंदोलन चलाया। जिसका उद्देश्य समय के साथ परिवर्तित होता रहा। शुरुआती दौर में इसका उद्देश्य बिहार की दुर्दशा को सुधारना था और बंगाल के प्रभुत्व को समाप्त करना था। धीरे धीरे इस आंदोलन का उद्देश्य बंगाल से अलग एक स्वतंत्र बिहार राज्य की स्थापना करना हो गया।जो अंततः **1912** में पूरा हुआ जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया ।

बिहार शब्द(संस्कृत और पाली शब्द)विहार(मठ या Monastery)से बना है। बिहार बौद्ध संस्कृति का जन्म स्थान है,जिस वजह से इस राज्य का नाम पहले विहार और उसके बाद बिहार बना।एक राजनीतिक इकाई के रूप में बिहार का उदय तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। तुर्क आक्रमणकारियों ने बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में बंगाल अभियान के समय बिहारशरीफ के निकटवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर इसे अपना केंद्र बनाया। उस समय यहां पर अनेक बौद्ध विहार थे। अतः तुर्कों ने इस क्षेत्र का नामांकन बिहार किया। मध्य काल से बिहार नाम ही राजनीतिक इकाई के रूप में प्रचलित हो गया।जब बंगाल का नवाब शुजाउद्दीन था तब उसने अलीबर्दीखाॅ को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसके बाद अलीवर्दी खाॅ बंगाल का नवाब बन बैठा। उस समय

से लेकर बीसवीं शताब्दी के आरंभिक चरण तक बिहार बंगाल का हीं भाग बना रहा। ब्रिटिश काल में इसे बंगाल प्रेसीडेंसी के अंतर्गत रखा गया था।

बंगाल से अलग एक नवीन राज्य

बिहार की स्थापना के पिछे कई कारण काम कर रहे थे,जिसमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखत थे:-

1- बिहार की दुर्दशा।

2- बिहार पर बंगालियों का प्रभुत्व से उत्पन आक्रोश।

3- एक स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश।

4- मध्यम वर्ग का उदय।

5-बिहारी समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के द्वारा इस संदर्भ से संबंधित नई चेतना का विकास।

प्राचीन एवं मध्यकालीन बिहार एक उन्नत अवस्था में था लेकिन जिस समय से बंगाल का एक उपांग बिहार बना, उस समय से बिहार की स्थिति खराब होती चली गई। चूॅंकि राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र औपनिवेशिक काल में बंगाल था जिसकी राजधानी कोलकाता थी ।इसके कारण अंग्रेजों का ज्यादा ध्यान उस पर केंद्रित रहा ।जिसके कारण बिहार शिक्षा, सरकारी नौकरियों एवं आर्थिक प्रगति में पिछड़ता चला गया, जिसे बिहारियों में असंतोष उत्पन्न होता चला गया और उसके मन में एक अलग राज्य की स्थापना की भावना जागृत हुई।

बंगाल

शुरुआती दौर से ही ब्रिटिश सरकार के प्रमुख प्रशासनिक एवं राजनीति केंद्र रहा है,

जिसके परिणाम स्वरूप यहां कई स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। जिसका परिणाम यह हुआ कि यहां अंग्रेजी शिक्षा का विकास पहले हुआ और अधिकांश सरकारी नौकरियों पर बंगालियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, लेकिन जब बिहार में भी शिक्षा का विकास हुआ तब इन्होंने भी सरकारी नौकरियों की खोज शुरू कर दी। लेकिन बंगालियों ने इनका विरोध किया और ऐसे में इनके मन में भी बंगालियों के विरुद्ध एक नाकारात्मक भावना उभर कर सामने आई। उन्होंने बंगाल से अलग हटकर एक अलग राज्य की मांग शुरू कर दी, जिसका सकारात्मक परिणाम 1912 ईस्वी में देखने को मिला।

उन कारणों के अलावा बंगाल-बिहार पृथक्य आंदोलन भावनात्मक कारणों से भी संबंधित रहा था। बंगाल के साथ जुड़े रहने कारण बिहार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। जिसके कारण बिहार वासियों को बिहार से बाहर उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती थी। इसका उल्लेख एक बार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भी किया। जब वे इंग्लैंड शिक्षा प्राप्त करने गए थे, तब उन्हें अत्यंत दुख हुआ कि बिहार के बारे में ब्रिटिश लोग कुछ नहीं जानते हैं।वह बंगाल को जानते हैं और उनके मित्रों ने कहा कि बिहार कोई स्थान है तो भूगोल के किसी भी स्वीकृत पुस्तक में दिखला दे।इस बात से उन्हें काफी दुख हुआ और उन्होंने मन ही मन यह प्रण कि किया वे बिहार को एक रा राज्य बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे।

आधुनिक बिहार के गठन में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की भी प्रमुख भूमिका रही है।इनमें कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे- नादिर-अल - अखबार(Nadir-al-akhbar), मुर्ग -ए- सुलेमान(Murgh-i-suleman) बिहार बंधु(Bihar Bandhu) तथा बिहार टाइम्स (Bihar Times)।इन समाचार पत्रों ने बंगाल और बिहार के संयुक्त रहने से बिहार वासियों के हो रही

कठिनाइयों के बारे में प्रमुखता से उजागर किया और लोगों को यह बतलाया कि अगर बिहार एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाता है तब बिहार वासियों को क्या-क्या फायदे होंगे। इससे बिहार वासियों में एक नई चेतना,एक अलग राज्य की स्थापना को लेकर उत्पन्न हुई। हालांकि इन समाचार पत्रों के लेखों और बिहार के प्रति उनके समर्पण को देखकर बंगाल के कई समाचार पत्रों जिसमें सहचर, बंगाली,अमृत बाज़ार पत्रिका आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, उन्होंने बंगाल से बिहार को अलग करने की मांग की आलोचना की और कहा कि बंगाल से बिहार अलग नहीं हो सकता क्योंकि इससे बंगाल को काफी नुकसान होगा।

बंगाल- बिहार पार्थक्य आंदोलन को प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी नीतियों ने बढ़ावा दिया। विशेषकर 1870 ईसवी के पश्चात अंग्रेजों ने एक सोची-समझी नीति के तहत बिहार में व्याप्त शैक्षणिक, आर्थिक,और प्रशासनिक समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देना प्रारंभ किया। इसका प्रमुख उद्देश्य बिहारियों को बंगाल की राजनीति से अलग रखना तथा द्वितीय प्रशासनिक सुविधा और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ावा देना था। सरकार ने प्रबुद्ध बिहारियों पर से बंगाल के राजनीतिक प्रभाव को कम कर उन्हें सामाजिक- आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान ध्यान देने को उत्प्रेरित किया। भूमिपतियों और जमींदारों को ऊंची सरकारी अहोदे देकर, मुसलमानों के शैक्षणिक विकास में सहायता कर और सरकारी नौकरियों में स्थान देकर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास सरकार ने किया। हिंदू शिक्षित मध्यम वर्ग को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए तथा नौकरियों में प्रवेश पाने योग्य बनाने के लिए सरकार ने हिंदी भाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया। साथ ही न्यायालयों में उर्दू के स्थान पर हिंदी का व्यवहार आरंभ करने का आदेश दिया। हिंदुओं के लिए सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर उपलब्ध कराए गए। इससे

शिक्षित मध्यमवर्ग यह समझने लगा कि अलग राज्य की स्थापना होने से उनकी अपनी स्थिति अधिक बेहतर होगी। जिसके कारण अतंत: अलग राज्य के गठन की मांग उठने लगी।

बंगाल और बिहार में भाषाई और सांस्कृतिक स्तर पर भी भिन्नता स्पष्ट नज़र आती है। दोनों की बोली - चली, भाषा, लिपि इत्यादि में कई अंतर थे। सांस्कृतिक स्तर पर भी कम ही दोनों राज्यों के बीच समानता थी। अतः इस आधार पर बंगाल के साथ बिहार को संयुक्त करने का कोई औचित्य नहीं था। देसी भाषा समाचार पत्रों ने इस पक्ष को भी जनता के सामने रखकर उन्हें अपनी अलग राज्य की स्थपना को उद्वेलित कर दिया।

बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन के स्वरूप को देखते हुए हम उसे प्रमुख रूप से तीन चरणों में बांट सकते हैं:-

1:-1858-1893(इस दौरान आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई)

2-1893-1904(इस दौरान आंदोलन गति पकड़ी)

3-1905-1912(आंदोलन सफलता की ओर अग्रसर हुआ)

आंदोलन के प्रथम चरण के तहत जब ब्रिटिश सरकार ने बिहारियों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ अधिकार देने की कोशिश की, तब बिहारियों ने इसे स्वीकार किया। जिसके कारण बंगाल के लोगों में बिहारियों के प्रति एक नकारात्मक विचारधारा का विकास हुआ। इसी समय बिहार में प्रकाशित समाचार पत्रों ने बिहार की उपेक्षा का प्रश्न उठाया । पहली बार मुंगेर से प्रकाशित होने

वाली मुर्ग-ए- सुलेमान नामक उर्दू अखबार ने 7 फरवरी 1876 को अपने अंक में"बिहार बिहारियों के लिए" की मांग की परंतु उस समय इस मांग पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। इसने नौकरियों में बंगालियों की अपेक्षा बिहारियों की नियुक्ति पर विशेष धयान देने की मांग की।

इस मांग के अनुरूप बंगाल के गवर्नर सर एसले इडन ने 1880 में एक परिपत्र जारी कर या व्यवस्था की कि बिहार में कुछ सरकारी नौकरियां बिहारियों के लिए सुरक्षित की जाए। इसी अवधि में "बिहार साइंटिफिक सोसायटी"अपने अखबार "अखबार-उल-अखियार" के माध्यम से तथा अमीर अली द्वारा स्थापित संस्था "नेशनल मुहम्मडन एसोसिएशन" ने सरकार का ध्यान बिहारियों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करवाया। इसी प्रकार मुंशी प्यारेलाल और हरवंश सहाय लोगों में जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे। इन लोगों ने "सदर अंजुमन- ए- हिंद"नामक संस्था द्वारा कायस्थों को संगठित करने में का प्रयास किया । आगे चलकर 1873 में बिहार बंधु नामक समाचार पत्र जो हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था,के माध्यम से बिहारियों में नव चेतना जगाने का प्रयास किया गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप बिहारियों के प्रति सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। जिससे बंगाल - बिहार पृथक आंदोलन को आगे ले जाने में सुविधा हुई।

बंगाल- बिहार पार्थक्य आंदोलन धीरे-धीरे गति पकड़ने लगी और यह अपने दूसरे चरण में प्रवेश की। इस समय आंदोलन को आगे ले जाने का काम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त प्रबुद्ध बिहारियों के एक वर्ग ने किया। इसी समय 26 जनवरी,1894 "बिहार टाइम्स" नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इस पत्रिका के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य था - पृथक बिहार के लिए बिहार में नवजागरण लाना और जनमत तैयार करना। इस पत्रिका के मूल में चार व्यक्ति थे सर्व श्री महेश नारायण (संपादक) नंदकिशोर लाल राय बहादुर, कृष्ण लाल सहाय और सबसे प्रमुख डॉक्टर

सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने लिखा कि जनवरी 1894 सिर्फ इस पत्रिका का जन्मदिन ही नहीं बल्कि इसे बिहार के पुनर्जागरण काल का प्रथम दिन कहा जा सकता है। जब बंगाल के प्रशासनिक भार को कम करने के लिए बिहार टाइम्स पत्रिका ने यह मांग की कि बिहार को उड़ीसा के साथ या उसके बिना ही अलग कर दिया जाए तब बिहार हेराल्ड (संपादक गुरुप्रसाद सेन) ने इसका विरोध किया और यह आशंका व्यक्त की कि बिहार के अलग हो जाने पर बंगाल का दिवालिया होना निश्चित है। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन इसी समय देश के सबसे प्रभावशाली एंग्लो इंडियन पत्र "इलाहाबाद पायोनियर" ने अपने मुखपृष्ठ पर बिहार टाइम्स के पक्ष में लेख छापा। इससे उत्साहित होकर पटना और अन्य शहरों में कई सभाएं की गई और अलग बिहार के गठन की मांग रखी गई। इसी बीच जब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एलेग्जेंडर मैकेंजी गया आए तो उन्हें एक स्मार पत्र देकर बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग की गई लेकिन मैकेंजी ने इसे खारिज कर दिया । जिससे कुछ समय के लिए बिहार वासियों में निराशा जरूर उत्पन्न हुई परंतु हार नहीं मानी और बिहार को अलग राज्य बनाने को लेकर और ज्यादा उत्साह से काम करना शुरू कर दिया।   इसी बीच जब लॉर्ड कर्जन (1899-1905)भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने के उद्देश्य से विभाजन की योजना बनाई तब इस आंदोलन को एक नया शक्ति मिला । इस समय बिहार के लोगों ने बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए आंदोलन को और मजबूती से आगे बढ़ाया और यह आंदोलन अपने तीसरे चरण और अंतिम चरण में प्रवेश किया। जिसमें हसन इमाम मशहूर हक अली इमाम मोहम्मद फखरुद्दीन जैसे लोगों का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

डॉ सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने 1906 में "दी पार्टीशन ऑफ बंगाल" अथवा "दी सेपरेशन ऑफ बिहार" नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें बंगाल के विभाजन के बदले बिहार को अलग करने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई ।इसी वर्ष बिहार टाइम्स का नाम बदलकर "बिहारी" रखा गया । इसमें अनेक ऐसे लेख छापे गए जिससे यहां एक नई चेतना का विकास हुआ और इसे व्यापक समर्थन भी मिला। शिक्षित और कुलीन मुस्लिम वर्ग की ओर से भी आंदोलन को आगे ले जाने का कार्य किया जा रहा था, हालांकि उनमें कुछ बातों को लेकर मतभेद भी था क्योंकि फारसी,उर्दू की शिक्षा प्राप्त कर ये लोग सरकारी नौकरियां पाते थे और नौकरियों में बंगालियों के प्रतिद्वंदी भी थे, परंतु धीरे-धीरे इनकी दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा और यह लोग बिहार राज्य के गठन के आंदोलन से गहरे रूप से जुड़ गए।

1906 ईस्वी में डॉ राजेंद्र प्रसाद,डॉ सच्चिदानंद सिन्हा,श्री महेश नारायण तथा अन्य नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात पटना में विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया गया। इस सम्मेलन में छात्रों की एक स्थाई समिति बनाई गई ।इससे बिहार पृथक्करण आंदोलन को पर्याप्त बल मिला। इसके बाद 1908 ईस्वी में सभी के सहयोग से बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से बिहार को बंगाल से पृथक करके एक नया प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली इमाम ने की ।इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने एक प्रस्ताव के द्वारा बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत के गठन की मांग रखी। जमींदारो की संस्था ने भी अलग राज्य की मांग की। अगस्त 1908 में एक संयुक्त स्मार पत्र द्वारा बंगाल के गवर्नर से मांग की गई कि वे बिहारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। इसके अलावा यह भी मांग की गई कि पटना को

दूसरी राजधानी बनाई जानी चाहिए तथा स्मार पत्र में अधिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की मांग भी की गई। इसी तरह बनारस कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने बिहार छोटानागपुर और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित करने का सुझाव दिया।

अगस्त,1908 का स्मारपत्र बिहार - बंगाल पार्थक्य आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। जब अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर बिहार को तत्काल बंगाल से अलग नहीं किया गया तो इस बात की प्रबल संभावना हो सकती हैं कि बंगाल राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रभाव में बिहार भी ना आ जाए। तब अंग्रेजों ने अलग बिहार राज्य की मांग को गंभीरता से लेना शुरू किया और इस पर विचार के लिए भारत सचिव के पास लंदन उस स्मार पत्र को भेज दिया। जब ऐसा किया गया सब कुछ बंगाली समाचार पत्रों जिसमें "अमृत बाजार पत्रिका," "बंगाली' प्रमुख हैं, सरकार की इस नीति की आलोचना की और यह कहा कि या हिंदू और मुसलमानों को अलग कर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने का एक तरीका है ।इसके विपरीत कुछ समाचार पत्र जैसे "बिहारी" और "कायस्थ मैसेंजर"ने अलग बिहार राज्य की मांग का समर्थन किया।

जब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ,तब इसमें भी बिहार को अलग कर एक नया राज्य बनाने की मांग जोरदार ढंग से की गई ।मार्ले -मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें डॉ सच्चिदानंद सिन्हा बंगाल विधान परिषद की ओर से और श्री मजहरूल हक मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद में निर्वाचित हुए ।इसी समय वायसराय मिटों ने डॉ सिन्हा से विचार विमर्श के पश्चात अली इमाम को केंद्रीय विधान परिषद का विधि सदस्य नियुक्त किया ।इन सब ने मिलकर सरकार पर

बिहार को अलग कर एक नया राज्य बनाने की मांग को और जोरदार तरीके से सरकार के सामने रखा।

अतंत: भारत सचिव ने भी अलग बिहार राज्य के गठन की मांग का समर्थन किया और उसने भी सुझाव दिया कि बिहार, छोटानागपुर और उड़ीसा को संयुक्त कर एक अलग प्रांत बनाया जाए ।इसका प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसकी काउंसिल को दिया जाए। नए राज्य के लिए एक लेजिसलेटिव काउंसिल की व्यवस्था हो तथा नए प्रांत की राजधानी पटना को बनाया जाय। नए राज्य का क्षेत्रफल लगभग 113000 वर्ग तथा इसकी जनसंख्या 35000000 होगी।बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1911 के दिसंबर में तेज बहादुर सप्रू ने प्रस्तुत किया और उसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया।

इस तरह भारत सचिव के स्वीकृति के पश्चात 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली दरबार में सम्राट ने इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक नए प्रांत के रूप में गठित हुआ ।1, अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा नये राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। इसके बाद 1 अप्रैल, 1936 को उड़ीसा प्रमंडल को बिहार से अलग कर उड़ीसा प्रांत बनाया गया और शेष क्षेत्र बिहार बना। 1956 में राज्यों के भाषाई आधार पर "राज्य पुनर्गठन आयोग" के अंतर्गत राज्यो का पुनर्गठन किया गया ।इस आयोग की अनुशंसा पर बिहार स्थित पुरूलिया जिला और पूर्णिया जिला का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल को दे दिया गया । बिहार राज्य का अंतिम विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ,जब बिहार से झारखंड को अलग करके उसे देश का 28 वा राज्य बनाया गया और आज बिहार की वर्तमान भौगोलिक स्थिति मौजूद है।

Suggested reading-1-k.k.Dutta---"History of freedom movement in Bihar"

2-R.K.Chaudhry----"History of Bihar’

3---V C P Chaudhry----"The Creation of modern Bihar"